

न्यायालय सिविल जज जू०डि०, मऊ, चित्रकूट।  
मूलवाद संख्या— 87 / 2020  
CNR NO. UPCH120005862020

शिवमूरत बनाम भुलई आदि

06.10.2020—

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आये। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 6ग2 कागज संख्या 21ग2, बयान तहरीरी 19क1 मय शपथ पत्र 20ग2 दाखिल किया गया है।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्याय निर्णयन हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं—

1. क्या वादी विवादित विवादित भूमि च,ख,छ,ज का अध्यासित स्वामी है?
2. क्या वादी याचित स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी हैं?
3. क्या वाद अल्प मूल्यांकित है?
4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
5. क्या दावा वादी धारा 9 जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित हैं?
6. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु न तो बनता है और न ही बनाये जाने पर पक्षकारों द्वारा बल ही दिया गया है। पत्रावली में अभी प्रार्थना पत्र 6ग2 का निस्तारण नहीं हुआ है। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 12.10.2020 को पेश हो।

(सुमित कुमार)

सिविल जज जू०डि०  
मऊ, चित्रकूट।  
आई०डी० नं०— यू०पी०2315